19/6/18 वकील उपस्थित अभि. पूर्व में दुबारा तलब का आदेश लिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/6/18 को पेश हो।

25/6/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अपील अधिकारी कार्यालय आपके द्वारा केस महफूज नं. 1 पर एक दृष्टि मृत श्वा. जाराधिक रूप से छिपी है उसका दौरा करा पंचनामा में विनोक 03/10/18 को पूर्वाह्न पशि. 1 पूर्व मृत श्वा का स्थिरावा तक के लिए पर (confirm) किया जाकर पत्रावली कोर्टलम मुमाद होकर केस मृत श्वा रद्द हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)